संख्याः 2594 /38–7–2008– 351एनआरईजीए/2008

प्रेषक

रोहित नन्दन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/
मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 दिनांकः 31 अक्टूबर, 2008

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना–उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ''उद्यानीकरण'' की परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम–2005 एवं दिशा निर्देश के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ''उद्यानीकरण'' परियोजना क्रियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका वित्त पोषण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना से किया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि योजना की रूपरेखा एवं क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों के दिशा निर्देश निम्नवत् होंगेः–

1- ifj;kstuk dk uke %

इस योजना को ''उद्यानीकरण'' परियोजना के नाम से क्रियान्वित किया जायेगा।

2- ifj;kstuk dk Lo:i vkSj mn~ns'; %

ग्रामीण क्षेत्रों में आय वृद्धि के लिए कृषि का विविधीकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उद्यानीकरण, कृषि विविधीकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्षेत्रीय विशिष्टियों के अनुसार प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अलग–अलग उद्यानिक फलों की प्रजाति सफलता पूर्वक उगाई जा सकती है। ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति के सुदृढ़ीकरण के लिए कृषि के साथ–साथ उद्यानीकरण को बढ़ावा देना आवश्यक है। परियोजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के स्वामित्व वाली निजी भूमि पर एकल गतिविधि के रूप में अथवा सामूहिक गतिविधि के रूप में उद्यान विकसित करने हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर इसका क्रियान्वयन किया जायेगा।

3- ujsxk ds iksfo/kkuksa ls vkPNknu %

3.1 ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 6 मार्च 07 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट की अनुसूची 1 की प्रस्तर 1(4) में संशोधन करते हुए कतिपय वर्ग के लाभार्थियों के स्वामित्व वाली भूमि में उद्यान विकसित

करने का प्राविधान किया गया है। नरेगा हेतु यथासंशोधित जारी मार्गनिर्देशिका–2008 के प्रस्तर 6–1 के अनुमन्य कार्यों की सूची में भी यह प्राविधान किया गया है कि अनुसूचित जाति जन जाति वर्ग के परिवार, गरीबी की रेखा के नीचे के परिवार, भूमि सुधार व इन्दिरा आवास के लाभार्थी की भूमि पर उद्यानीकरण किया जा सकता है।

4- ifj;kstuk dk ykHkkFkh %

4.1 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट की अनुसूची–1 की संशोधित प्रस्तर–1 (IV) (ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 6 मार्च 2007) में निम्न वर्ग के लाभार्थियों द्वारा धारित भूमि के भूमि विकास का प्रावधान किया गया है :–

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवार
- गरीबी रेखा के नीचे के परिवार
- भूमि सुधार (Land Reforms) के लाभार्थी
- इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी

5- ykHkkFkh p;u dh izfd;k %

5-1 ग्राम पंचायत पात्र लाभार्थियों में से ऐसे लाभार्थी जो अपनी निजी भूमि पर उद्यानिकी प्रजाति का वृक्षारोपण करने के इच्छुक हैं, उनसे रोजगार की मांग के आवेदन के साथ–साथ उद्यानीकरण हेतु संलग्नक – 1 में दर्शाये गये प्रपत्र में आवेदन प्राप्त करेगी। इस आवेदन में लाभार्थी द्वारा वृक्षारोपण के प्रस्तावित स्थल का विवरण/क्षेत्रफल, वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित प्रजातियां, स्वयं के पास उपलब्ध सिंचाई सुविधा आदि का विवरण अंकित किया जायेगा। लाभार्थी अपना आवेदन कार्यक्रम अधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक व लाईन विभाग को भी दे सकते हैं। उपरोक्तानुसार प्राप्त आवेदन परीक्षण उपरांत ग्राम पंचायत को स्वीकृति एवं अग्रिम कार्यवाई हेतु प्रेषित किए जाएंगे।

5.2 ग्राम पंचायत द्वारा लाभार्थीवार प्रस्तावों का विवरण ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जायेगा। ग्राम सभा द्वारा ऐसे लाभार्थी जिनके पास प्रस्तावित उद्यान की सिंचाई हेतु पर्याप्त व्यवस्था है, को प्रथम प्राथमिकता क्रम में चयनित करेगी। ऐसे लाभार्थी जिनके पास प्रस्तावित उद्यान की सिंचाई हेतु पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, को इस शर्त के साथ चयनित किया जा सकेगा कि उनके लिए उद्यानीकरण परियोजना का कार्य लिये जाने से पूर्व उन्हें सिंचाई समृद्धि/खेत–तालाब योजना के प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध कराई जायेगी।

5.3 लाभार्थी परिवार जो निजी भूमि पर प्रस्तावित उद्यानीकरण विकास का कार्य पृथक पृथक लेना चाहते हैं, उनके लिए उद्यानीकरण परियोजना एकल गतिविधि के स्वरूप में ली जाएगी।

5.4 लाभार्थी परिवार जिनकी निजी भूमि एक साथ जुड़ी हुई हो अर्थात साथ साथ लगी हुई हो, उनकी सम्मिलित निजी भूमि पर प्रस्तावित उद्यान विकास का कार्य एक बड़े भू–भाग पर एक साथ लिया जा सकता है। ऐसे लाभार्थियों के लिए उद्यानीकरण परियोजना सामूहिक गतिविधि के स्वरूप में ली जा सकेगी।

परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित उद्यानीकरण सामूहिक गतिविधि के रूप में लेने की दशा में ग्राम पंचायत द्वारा संबंधित चयनित लाभार्थियों का ''लाभार्थी समूह'' भी अनिवार्यतः गठित कराया जाएगा।

5.5 ग्राम पंचायत द्वारा परियोजना हेतु ग्राम सभा द्वारा अनुशंसित और चयनित लाभार्थियों की सूची प्राथमिकता क्रम में तैयार कर अपने पास रखेगी। इस सूची में एकल गतिविधि के स्वरूप में उद्यान विकास का कार्य लेने वाले लाभार्थियों तथा सामूहिक गतिविधि के स्वरूप में उद्यान विकास का कार्य लेने वाले लाभार्थी समूहों का भी स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। ग्राम पंचायत द्वारा चयनित लाभार्थियों से प्राप्त आवेदन को लाभार्थीवार एवं लाभार्थी समूहवार उनकी पंचायत से संबंधित उद्यान/कृषि विभाग के कर्मी को प्रेषित करेगी। उद्यान/कृषि विभाग के कर्मी द्वारा क्षेत्र का भ्रमण कर प्रस्तावों का परीक्षण कर परियोजना के विभिन्न घटकों का निर्धारण किया जायेगा ।

6- dk;l ;kstuk@iksztDV cukus o Lohd`r fd;s tkus dh izfdz;k %

6.1 उद्यानीकरण को सफलता से क्रियान्वित करने के लिए अच्छी गुणवत्ता के पौधों की व्यवस्था, मिट्टी एवं जलवायु के अनुसार उपयुक्त प्रजाति का चयन, सिंचाई की व्यवस्था, रोपित पौधों के रख–रखाव की व्यवस्था एक आवश्यक पहलू है। कालांतर में उत्पादित फलों के उचित विपणन एवं पोसेसिंग की व्यवस्था भी उद्यानीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। उद्यान विभाग एवं कृषि विभाग के कर्मी ग्राम्य विकास विभाग के अन्य अधिकारियों से सम्पर्क कर योजना का क्रियान्वयन कराएंगे।

परियोजना हेतु निम्न दो प्रकार की वृक्षारोपण पद्धति अपनाई जा सकती है :–

(1) चयनित भूमि के संपूर्ण भू–भाग पर केवल उद्यानिकी प्रजाति के पौधों का निर्धारित अंतराल पर रोपण जिसे ''खण्ड उद्यानिकी वृक्षारोपण'' (Block Horticuture Plantation) कहा जायेगा।

(2) चयनित भूमि के भू–भाग पर कृषि फसलों के साथ साथ उद्यानिकी प्रजाति के पौधों का भी निर्धारित अंतराल पर रोपण जिसे ''कृषि – उद्यानिकी वृक्षारोपण'' (Agro-Horticuture Plantation) कहा जायेगा।

6.2 लाभार्थी एवं लाभार्थी समूहों के सदस्यों की सहमति से परियोजना हेतु प्रस्तावित वृक्षारोपण पद्धति का निर्धारण किया जायगा कि वे ''खण्ड उद्यानिकी वृक्षारोपण'' करना चाहते हैं अथवा ''कृषि – उद्यानिकी वृक्षारोपण'' करना चाहते हैं। ''कृषि – उद्यानिकी वृक्षारोपण'' लिये जाने पर संलग्नक – 2 में वर्णित अंतरवर्तीय फसलें ली जा सकती हैं। अंतरवर्तीय फसलों का विवरण उद्यान विभाग द्वारा प्रस्तुत मानक आंकलन (संलग्नक–5) में भी दिया गया है। इन अंतरवर्तीय फसलों को लगाने का व्यय लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। उद्यान विभाग/कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा वृक्षारोपण पद्धति के निर्धारण के समय लाभार्थियों को अंतरवर्तीय फसलों के संबंध में मार्गदर्शन दिया जाये।

6.3 **प्रजातियों का निर्धारण :** लाभार्थी परिवार द्वारा ग्राम पंचायत को परियोजना हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन में फलोद्यान विकास हेतु प्रस्तावित प्रजातियों का उल्लेख किया जायेगा। परन्तु उद्यान विभाग/कृषि विभाग के तकनीकी

अधिकारी प्रदेश के विभिन्न प्राकृतिक परिस्थितियों (Agro Climatic Zone) में अनुशंसित प्रजातियों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय क्षेत्र के संदर्भ में उपयुक्त प्रजाति का निर्धारण संबंधित लाभार्थी या लाभार्थी समूहों के अध्यक्ष से विचार विमर्श कर करेंगे।

6.4 उद्यान विकास हेतु प्रजातिवार लगाये जाने वाले पौधों की संख्या का आकलन व निर्धारण :

उद्यानीकरण हेतु प्रजातियों का निर्धारण होने के पश्चात् इन प्रजातियों के लिए संस्तुत पौधों से पौधों की दूरी तथा कतार से कतार की दूरी को ध्यान में रखते हुए पौध–रोपण हेतु प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर उद्यान विभाग/कृषि विभाग के तकनीकी अधिकारी द्वारा प्रजातिवार लगाये जा सकने वाले पौधों की संख्या का अनुमानित आंकलन कर लाभार्थी को अवगत कराया जायेगा। उपरोक्त आंकलन चयनित वृक्षारोपण पद्धति को ध्यान में रखते हुए, लाभार्थी एवं लाभार्थी समूहों के सदस्यों द्वारा प्रजातिवार लगाये जा सकने वाले पौधों के संबंध में विचार–विमर्श के उपरान्त तय किया जाएगा।

6.5 लाभार्थी के पास उपलब्ध सिंचाई क्षमता का आकलन :

लाभार्थी के पास उपलब्ध सिंचाई स्रोतों का विश्लेषण इस आधार पर किया जायगा कि उद्यानीकरण की दशा में क्या इस स्रोत से लगाये गये पौधों के लिए पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी अथवा नहीं। यदि लाभार्थी एवं लाभार्थी समूह के सदस्यों के पास सिंचाई स्रोत उपलब्ध नहीं हैं तो ग्राम पंचायत को प्रेषित की जाने वाली अनुशंसा में इसका उल्लेख किया जाए। इस अनुशंसा के आधार पर ग्राम पंचायत संबंधित लाभार्थी/लाभार्थियों के समूह को खेत–तालाब/सिंचाई समृद्धि के प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई स्रोत उपलब्ध कराने के उपरांत इन लाभार्थी/लाभार्थी समूह के लिए उद्यानीकरण परियोजना का क्रियान्वयन कराएगी।

6.6 कार्ययोजना तैयार करना :

परीक्षण व विभिन्न घटकों के निर्धारण के उपरांत उद्यान / कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा लाभार्थीवार अथवा लाभार्थियों के समूहवार संलग्नक –3 में दर्शाये गये प्रपत्र में अपनी संस्तुति दी जायगी। इस संस्तुति के आधार पर इन निर्देशों के साथ संलग्नक में दर्शाये गये विभिन्न फलदार प्रजाति के फलोद्यान विकास के मॉडल प्राक्कलनों के दृष्टिगत परियोजना हेतु लाभार्थीवार अथवा लाभार्थियों के समूहवार प्राक्कलन तैयार किया जायेगा। मॉडल प्राक्कलन पूर्णतः सांकेतिक एवं मार्गदर्शी हैं। स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर इन मॉडल प्राक्कलन में दर्शाये गये व्यय अनुमानों में परिवर्तन कर परियोजना हेतु प्राक्कलन तैयार कराये जाएंगे। उपरोक्त संस्तुति एवं प्राक्कलन को संकलित कर प्रत्येक लाभार्थीवार अथवा लाभार्थियों के समूहवार कार्ययोजना पृथक पृथक तैयार की जायेगी। इस प्रकार तैयार की गई कार्य योजना में चयनित प्रजातियों का विवरण, चयनित भूमि व क्षेत्रफल का विवरण, वृक्षारोपण पद्धति, सिंचाई तथा फलदार

वृक्षारोपण करने हेतु विभिन्न अवयवों/मदों पर आने वाले व्यय की लागत का विवरण, पौधों की सुरक्षा हेतु फेंसिंग या प्रति पौधे के लिए बाड़, पौधों की निराई/गुड़ाई/सिंचाई/खाद एवं सुरक्षा/मृत पौधों को बदलने का विवरण शामिल होगा।

ऐसे लाभार्थी अथवा लाभार्थियों के समूह जिनके पास सिंचाई स्रोत उपलब्ध नहीं हैं, उनके प्रकरणों में इसके आधार पर ग्राम पंचायत संबंधित लाभार्थियों के लिए सिंचाई समृद्धि/खेत–तालाब योजना के प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई स्रोत उपलब्ध कराने का कार्य इन लाभार्थियों की उद्यानीकरण की परियोजना की कार्य योजना में शामिल करायेगी।

6.7 **सुरक्षा हेतु फेंसिंग का प्रावधान व प्राक्कलन में इसका समावेश :**

- वृक्षारोपण स्थल पर रोपित किये जाने वाले पौधों की सुरक्षा के लिए कटीले तार (Barbed Wire) तथा सी.सी. पोल/पत्थर के पोल द्वारा फेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी। कार्य योजना का प्राक्कलन तैयार करते समय इसमें उपरोक्तानुसार फेंसिंग के प्रावधानों को ध्यान में रखकर फेंसिंग की लागत का यथोचित समावेश किया जायेगा।

विभिन्न फलों के पौध रोपण की विशिष्ट आवश्यकताएं एवं फेंसिंग के लिए व्यय अनुमान का उल्लेख संलग्नक –4 में दर्शाये गये मॉडल प्राक्कलन में दिया गया उद्यानीकरण परियोजना के उपरोक्तानुसार अनुमोदन व प्रशासकीय, तकनीकी तथा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कार्यों का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा लाभार्थियों/लाभार्थी समूह हेतु चयनित स्थल पर कराया जायेगा। ग्राम पंचायत यह सुनिश्चित करेगी कि कार्य का क्रियान्वयन निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप पूर्ण किया जाये और तकनीकी रूप से गुणवत्तापूर्ण हो। तकनीकी विशिष्टियों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी उद्यान/कृषि विभाग के संबंधित कर्मी की होगी।

6-8 dk;Z dh Lohdfr;k % लाभार्थीवार अथवा लाभार्थियों के समूहवार तैयार की गई कार्ययोजना ग्राम पंचायत को प्रेषित की जायेगी। ग्राम पंचायत अपनी बैठक में परियोजना की ऐसी सभी कार्ययोजनाओं का अनुमोदन करेगी। तत्पश्चात् इसका अनुमोदन क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत से कराया जायगा। त्रि–स्तरीय पंचायत से अनुमोदित कार्ययोजना को ही ''शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट'' में शामिल किया जायगा।

6.9 ऐसे लाभार्थी अथवा लाभार्थियों के समूह जिनके पास उद्यानीकरण परियोजना हेतु सिंचाई स्रोत उपलब्ध नहीं हैं, उनके प्रकरणों में उद्यानीकरण परियोजना की कार्ययोजना के साथ साथ सिंचाई समृद्धि परियोजना/खेत तालाब के प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अनुमोदित व स्वीकृत कार्य भी ''शेल्फ आफ प्रोजेक्ट'' में शामिल किया जायेगा।

6.10 उद्यानीकरण परियोजना के कार्यों की प्रशासकीय व तकनीकी स्वीकृति राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – उत्तर प्रदेश के तहत समय समय पर जारी निर्देशों के प्राविधानों के अनुरूप जारी की जायेगी।

7- Q.M Qyk dk fooj.k %

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी कार्यकारी निर्देश–2008 के पैरा 8.3.2 के प्राविधानों के अनुसार धनराशि का स्थानांतरण जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा ग्राम पंचायतों को किया जायेगा। ग्राम पंचायतें स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष लाभार्थी के खेतों पर कार्य कराएगी। लाभार्थी परिवार के सदस्यों द्वारा स्वयं भी मजदूरी की जा सकती है। योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी मजदूरों को मजदूरी का भुगतान बैंक अथवा पोस्ट आफिस में खुले खाते के माध्यम से किया जायेगा।

8- lkexh dh 0;oLFkk %

परियोजनांतर्गत वांछित सामग्री का क्रय एवं व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा की जायेगी। उद्यानीकरण परियोजना हेतु श्रेष्ठ एवं उत्तम किस्म की पौध उपलब्धता सुनिश्चित कराने का दायित्व उद्यान विभाग का होगा। पौधों को लाभार्थी अपनी पसंद की नर्सरी से क्रय कर सकेगा। पौधों के लागत की अनुमानित धनराशि का चेक लाभार्थी को एडवांस के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा जिसकी रशीद क्रय के उपरांत प्राप्त कर अग्रिम का समायोजन करते हुए अभिलेखों मे रखी जाएगी।

9- rduhdh i;lo{k.k %

9.1 उद्यानीकरण की परियोजना के लाभार्थियों को उद्यान विकास किये जाने व रख रखाव संबंधी विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस प्रशिक्षण का आयोजन कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उद्यान विभाग/कृषि विभाग के समन्वय से किया जायेगा। लाभार्थियों को गतिविधि आरंभ होने पर आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन व सहायता उद्यान/कृषि विभाग के कर्मी द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

10- fjikfVlx o vuJo.k dh 0;oLFkk %

10.1 उक्त परियोजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु मुख्य विकास अधिकारी जनपद स्तर पर उत्तरदायी होंगे। मुख्य विकास अधिकारी / जिला कार्यक्रम समन्वयक (नरेगा) द्वारा कम से कम परियोजना के 10 प्रतिशत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कराया जायगा। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपने विकासखण्ड के कार्यों का शत–प्रतिशत निरीक्षण व अनुश्रवण कराया जायगा। योजना के कार्यो की प्रगति की जानकारी संलग्नक– 6 में दर्शाये गये प्रपत्र में प्रत्येक माह की 7 तारीख तक आयुक्त ग्राम्य विकास को प्रेषित की जाएगी।

10.2 परियोजना के तहत प्रस्तावित कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरतने, निगरानी, मूल्यांकन, कार्य की माप, मजदूरी का भुगतान, रिकार्ड एवं लेखा रख–रखाव तथा अन्य अभिलेखों के रख–रखाव के संबंध में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना– उत्तर प्रदेश के तहत समय समय पर जारी निर्देशों के प्रावधान यथावत लागू होंगे।

10.3 कार्य के पूर्ण होने पर लाभार्थी से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा, जिस पर प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव के साथ तकनीकी सहायक/लाईन विभाग के अधिकारी/अवर अभियन्ता के द्वारा कार्य की पूर्णता प्रमाणित कर कार्य पूर्ति

प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर किया जायेगा। तदोपरांत कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र की एक प्रति ग्राम पंचायत स्तर पर एवं एक प्रति विकासखण्ड में रखी जायगी।

11- ykHkkFkh dk nkf;Ro o vf/kdkj %

11.1 लाभार्थी क्रियान्वित किये जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण कर गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेगा। लाभार्थी स्वयं के द्वारा धारित भूमि पर स्वयं भी कार्य कर सकेंगे। लाभार्थी अपने भूमि पर लगाए गए उद्यान के रख–रखाव की व्यवस्था स्वयं करेगा।

12- xke iapk;r dk nkf;Ro %

ग्राम पंचायत अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप पात्र लाभार्थियों का चयन करेगी। चयनित लाभार्थियों द्वारा वांछित कार्य की कार्य योजना तैयार कराएगी। तैयार कार्य योजना पर वांछित तकनीकी मार्गदर्षन प्राप्त करने के उपरान्त प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगी। ग्राम पंचायत परियोजनांतर्गत आवष्यक सामग्री का क्रय एवं व्यवस्था कराएगी। ग्राम पंचायत परियोजना से संबंधित अभिलेखों का रख–रखाव तथा मस्टर रोल को नरेगा के एम.आई.एस. पर पोस्ट कराएगी।

13- {k= iapk;r dk nkf;Ro %

ग्राम पंचायतों से प्राप्त कार्य योजना को अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करते हुए जिला पंचायत को अपनी संस्तुति/मंतव्य सहित अग्रसारित करेगी। जिन परियोजनाओं पर ग्राम पंचायत की अनुमन्यता से अधिक धनराशि का कार्य निहित है उनका सक्षम स्तर से तकनीकी, प्रषासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कराएगी।

14- lacf/kr ykbu foHkkx dk nkf;Ro %

परियोजनांतर्गत उद्यान विभाग तकनीकी मार्गदर्शन हेतु लाइन विभाग होगा। इनके द्वारा योजना के निर्माण तथा क्रियान्वयन में तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जायेगा। उद्यान विभाग द्वारा अच्छी गुणवत्ता के पौधे की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी।

कृपया उक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रोहित नन्दन)
प्रमुख सचिव

संख्या–2594 (1)/38–7–2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखिता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) स्टाफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) प्रमुख सचिव उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(10) प्रमुख सचिव, रेशम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(11) प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(12) प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(13) प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(14) प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन, उत्तर प्रदेश शासन।
(15) आयुक्त, ग्राम्य विकास,उत्तर प्रदेश , लखनऊ।
(16) प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग,उत्तर प्रदेश।
(17) प्रमुख अभियन्ता, लघु सिंचाई, उत्तर प्रदेश ।
(18) प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
(19) निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश।
(20) निदेशक, खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश ।
(21) निदेशक, मत्स्य, उत्तर प्रदेश ।
(22) निदेशक, भूमि विकास एवं जल संसाधन, उत्तर प्रदेश।
(23) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
(24) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 सिंह)
अनुसचिव।

संलग्नक – 1

उद्यानीकरण की परियोजना के अंतर्गत आवेदन का प्रारूप

सेवा में,

प्रधान/कार्यक्रम अधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक/लाईन विभाग
ग्राम पंचायत .....
विकास खण्ड .....
जिला .....

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – उत्तर प्रदेश के अंतर्गत उद्यानीकरण की परियोजना हेतु आवेदन।

मैं उद्यानीकरण की परियोजना के अंतर्गत अपनी निजी भूमि पर उद्यानिकी प्रजाति का पौध रोपण कर उद्यान विकसित करना चाहता हूँ। मेरी भूमि के खतौनी/खसरा/किसान बही की प्रतिलिपि संलग्न है। अन्य आवश्यक विवरण निम्नानुसार है :–

1. लाभार्थी का नाम : .....
2. पिता/पति का नाम : .....
3. ग्राम पंचायत : .....
4. धारित कुल भूमि का रकबा : ..... हेक्टेयर
5. उद्यान हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा : ..... हेक्टेयर
6. खसरा नंबर : .....जिसमें उक्त उद्यान विकास का कार्य प्रस्तावित है।
7. प्रस्तावित प्रजातियों का विवरण व संख्या
   .....
   .....
   .....
   .....
8. लाभार्थी के पास उपलब्ध सिंचाई स्रोत.....

लाभार्थी के हस्ताक्षर/
अंगूठा निशानी व नाम

संलग्नक – 2

उद्यानिकी/वृक्षारोपण के साथ ली जाने वाली अंतरवर्तीय फसलें

क्रमांक	उद्यानिकी फसलें	अन्तरवर्तीय फसलें
1	आम/कटहल/चीकू/इमली	• प्याज, लोबिया, मटर, हल्दी, फूलगोभी, गाजर, मूली, चना • गाठगोभी, पत्तागोभी, फूलगोभी, मूली, हल्दी, अदरक • लोबिया, आलू, चना, धनिया, सौंफ • टमाटर, क्लस्टर बीन, सोयाबीन, मटर, लोबिया, पालक, मिर्च
2	अमरूद	• मिर्च, धनिया, मेथी, सौंफ • प्याज, भिण्डी, पत्तागोभी, फूलगोभी • गोभी वर्गीय सब्जियॉ, हल्दी, अदरक • आलू, सरसों, शकरकंद
3	नीबू, संतरा, मौसम्बी	• दलहनी फसलें • मटर, लोबिया, चना, फली • भिण्डी, फूलगोभी, टमाटर, मटर, पत्तागोभी • आलू
4	बैर, सीताफल	• टमाटर, मटर, हल्दी, मूली, फली, मूंग, उर्द, चना, लोबिया, फ्रेचबीन
5	आंवला	• मूंग, उड़द, चना, लोबिया, फली, मटर
6	पपीता	• सब्जियॉ (मिर्च ,पत्तागोभी ,मूली, गांठगोभी ,टमाटर, प्याज)
7	केला	• सब्जियॉ (बैंगन, हल्दी, मिर्च, भिण्डी, मूली ,फूलगोभी, पत्तागोभी,) • सनई (हरी खाद के रूप में)

संलग्नक – 3

<u>प्रायोजना के विभिन्न घटकों के निर्धारण व आकलन के आधार पर उद्यान/कृषि कर्मी द्वारा की जाने वाली संस्तुति के प्रपत्र का प्रारूप</u>

सेवा में,

प्रधान,
ग्राम पंचायत .....
विकास खण्ड ....., जिला .....

विषयः उद्यानीकरण की परियोजना के अंतर्गत लाभार्थी/लाभार्थियों के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुक्रम में प्रायोजना के विभिन्न घटकों के निर्धारण व आकलन की अनुशंसा।

उद्यानीकरण की परियोजना के अंतर्गत लाभार्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का परीक्षण लाभार्थी/लाभार्थियों के सदस्यों के साथ दिनांक / / को क्षेत्र भ्रमण कर लिया गया। इस परीक्षण के आधार पर निम्नानुसार उल्लेखित लाभार्थी एवं लाभार्थियों के समूह के सदस्यों हेतु उद्यानीकरण परियोजना का कार्य लिये जाने की संस्तुति की जाती हैः–

गतिविधि का स्वरूप – एकल गतिविधि/सामूहिक गतिविधि (जो उपयुक्त हो, उसे ✓ करें)

क्र.	भू–स्वामी लाभार्थी/ लाभार्थियों के नाम तथा पिता/पति का नाम	ग्राम	उद्यानीकरण हेतु निर्धारित भूमि का खसरा नंबर	उद्यानीकरण हेतु निर्धारित भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	उद्यान हेतु निर्धारित भूमि का वर्तमान में भूमि उपयोग (कृषि/अन्य /परती)	निर्धारित वृक्षारोपण पद्धति	ली जाने वाली प्रजातियां	ली जाने वाली प्रजातियों की पौधावार संख्या	ली जाने वाली अंतरवर्तीय फसलें	लाभार्थी के पास उपलब्ध सिंचाई स्रोत व सुविधा	उपलब्ध सिंचाई स्रोत से क्या प्रस्तावित उद्यान की पर्याप्त सिंचाई हो सकेगी (हां/नहीं)

उद्यान/कृषि कर्मी का पूरा नाम, पदनाम तथा हस्ताक्षर
दिनांक

पौधरोपण हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश

भूमि की तैयारी :

सर्वप्रथम चयनित भूमि की साफ सफाई का कार्य किया जाये। चयनित प्रजाति के अनुसार निश्चित अंतराल पर निश्चित आकार के गड्ढे खोदे जायें। गड्ढों की माप भूमि प्रकार एवं प्रजाति के अनुसार 45X45, 60X60, 100X100, सेमी. हो सकती है। इन गड्ढों की कतारें तथा दिशा भूमि के आकार पर निश्चित करना चाहिए। गड्ढों की खुदाई का काम सामान्यतः अप्रैल/मई माह के अंत तक पूर्ण कर लिया जाना चाहिए जिससे गडढे के अन्दर एवं निकाली गयी मिट्टी में पाये जाने वाले हानिकारक जीव नष्ट हो जायें। मई माह में इन गड्ढों की भराई का काम पूर्ण करना चाहिये। गड्ढे भरने के लिये गडढे से निकाली गई मिट्टी, गोबर की खाद, रेत क्रमशः 2: 1: 1 या 1: 1: 1 का अनुपात में प्रयोग करना चाहिये। यदि क्षेत्र में अच्छी किस्म की मिट्टी उपलब्ध नहीं है तो बाहरी क्षेत्र से दोमट मिट्टी लाकर गोबर की खाद व रेत मिलाकर गड्ढे में भरी जाये। भूमिगत कीटों, दीमक एवं अन्य हानिकारक जीवों के नियंत्रण हेतु कीटनाशक का प्रयोग लाभदायक सिद्ध होता है।

पौधरोपण :

सफल उद्यानीकरण हेतु यह आवश्यक है कि पौधरोपण का कार्य वर्षा ऋतु आरंभ होते ही पहली अच्छी बारिश के तत्काल बाद आरंभ कर दिया जाये। पौधरोपण का कार्य सामान्यतः 15 सितम्बर तक पूर्ण कर लिया जाना चाहिऐ। पौधेरोपण के दौरान निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखना चाहिये :–

- रोपित किये जाने वाले पौधे स्वस्थ हो तथा पौधें के तने मजबूत हों।
- पौधे लगाने के ठीक पहले लिपटी हुई घास या भीगे बोरों के टुकड़ों अथवा पोलीथीन को जड़ों की मिट्टी के गोले (पिण्डी) से हटा देना चाहिए।
- गड्ढों के बीच से केवल उतनी ही मिट्टी निकाले, जिससे मिट्टी के गोले के साथ पौधे की जड़ें उसमें ठीक से बैठ सके। यहां इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि मिट्टी के गोले के साथ पौधों को समान गहराई पर ही लगाना चाहिये। यदि पौधे को अधिक गहराई पर लगा दिया जायेगा तो तना

पानी/मिट्टी के संपर्क में आकर सड़/गल सकता है और यदि कम गहराई पर रोपण किया जायेगा तो बारिश के दौरान मिट्टी के गोले की मिट्टी हट जाने के कारण पौधे की जड़े खुल जायेंगी, और पौधे की जीवित रहने की संभावना कम हो सकती है।

- पौधे गड्ढों में सीधे लगाने चाहिए।
- बडिंग/ग्राफ्टिंग से तैयार पौधे का यूनिट–यूनियन (संगम बिन्दु) हवा चलने की दिशा में रखना चाहिए, जिससे हवा के दबाव से यूनियन टूट या खुल ना सकें। मुख्यतः संधि व बडिंग (कलिका रोपण) के स्थान पर किसी बंधन आदि की गांठ नहीं रहनी चाहिए।
- पौधे लगाने के बाद जड़ के आसपास चारों तरफ से मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। जमीन के तल से मिट्टी ऊपर उठी एवं ढालू रहें ताकि बारिश के पानी का जमाव न हो सके व पौधों की जड़ों के आसपास हवा न रहे।
- पौधे लगाने के तुरन्त बाद हल्का पानी दिया जाना चाहिए।
- शुरुआत से ही लकड़ी गाड़कर पौधों को सहारा (स्टेकिंग) देना चाहिए ताकि वे सीधे रहें।

निराई गुडाई व गैप फिलिंग :

घास, फूस की निराई नियमित रूप से की जानी चाहिये। लगाये गये पौधों में से मृत पौधों को आगामी 2 वर्षों में गैप फिलिंग (10% की सीमा तक) कर पुनः लगाया जा सकेगा।

खाद एवं कीटनाशक दवा :

पौधों को समय–समय पर गोबर खाद अथवा रासायनिक खाद उचित मात्रा में देनी चाहिये। कीड़े अथवा दीमक लगने पर उचित मात्रा में यथोचित कीटनाशक दवा का छिड़काव करना चाहिये।

उद्यानीकरण की परियोजना के कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरतने, निगरानी, मूल्यांकन, कार्य की माप, मजदूरी का भुगतान, एवं अभिलेखों का रख रखाव राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – उत्तर प्रदेश के तहत समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। लाभार्थी अथवा लाभार्थियों के समूह के सदस्य उसके लिए क्रियान्वित किये जा रहे कार्य पर मजदूरी करने के साथ–साथ निगरानी भी करेगा।

कार्य के पूर्ण होने पर लाभार्थी अथवा लाभार्थी समूह के अध्यक्ष से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा, जिस पर प्रधान एवं उद्यान/कृषि विभाग के संबंधित

कर्मियों द्वारा कार्य के सन्तोषजनक एवं गुणवत्तापूर्ण होने की पुष्टि की जाएगी। इस पूर्णता प्रमाण पत्र की एक प्रति ग्राम पंचायत अपने रिकार्ड में रखेगी। कार्य स्थल पर भूमि स्वामी लाभार्थी सदस्यों के नाम और कार्य का संक्षिप्त विवरण (क्षेत्रफल, ली गई प्रजातियां व इनकी संख्या तथा लागत) अंकित करते हुए एक बोर्ड भी लगाया जायेगा।

उद्यानीकरण की परियोजना के अंतर्गत किये गये उद्यान विकास के कार्य का विवरण लेखपाल द्वारा राजस्व अभिलेखों में भी अनिवार्यतः दर्ज किया जाये।

पपीता के पौधरोपण हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश

1. भूमि : अच्छे जल निकास युक्त वाली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त है। चूंकि पौधों की जड़े अधिक गहराई तक नही जाती इसलिए उथली भूमि पर भी इसे लगाया जा सकता है।

2. किस्में : पूसा मैजेस्टी, मयूरी, हनीड्यू, सिलोन, पूसा डिलीसियस, राँची, कोयम्बटूर–2,3,5,6, पूसा जायंट, पूसा नन्हा, रेड लेडी (ताईवान)

3. जलवायु : गर्म जलवायु उपयुक्त होती है सफल उत्पादन के लिए तापमान 40 डिग्री सेन्टीग्रेट होना चाहिए।

4. इन्टर कल्चर : पपीते में नर, मादा एवं उभयलिंगी तीनों प्रकार के पुष्प वाले पौध पाये जाते है और फल केवल मादा एवं उभयलिंग पौधों में लगते हैं अतः पौधरोपण के चार माह पश्चात फूलों के द्वारा नर पौधों की पहचान कर उन्हें उखाड़ देने चाहिए। संकर पौधा उभय लिंगी होता है। अतः इनमें नर पौधों की समस्या नहीं आती है। अतः संकर पौधों के रोपण को प्राथमिकता दी जाये।

5. नर पुष्पिय पौधेः संकर किस्म न लगाने पर अन्य किस्म में कुल पौधों की संख्या में न्यूनतम 5 प्रतिशत नर पुष्पिय पौधे रहना आवश्यक है, इससे परागण की क्रिया समुचित रूप से हो जाती है।

6. पौधरोपण : पौधरोपण हेतु उपयुक्त समय जुलाई–अगस्त है। किन्तु पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने पर पौधे फरवरी से मार्च तक भी लगाये जा सकते हैं। अच्छे परिणाम **सितम्बर एवं फरवरी माह** में पौधरोपण करने पर मिलते हैं।

8. उर्वरक अनुप्रयोगः फास्फोरस एवं पोटास उर्वरक की सम्पूर्ण मात्रा एवं नत्रजन की आधी मात्रा गड्डा भराई के समय बेसल डोज के रूप में एवं शेष मात्रा स्प्लिट डोज के रूप में बराबर भागों में 2 से 3 बार में दें।

9. सिंचाई : शाकीय पौधा होने के कारण सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। ग्रीष्म ऋतु में प्रति सप्ताह एवं शरद ऋतु में प्रति पखवाड़ा सिंचाई करना आवश्यक है। सिंचाई करते समय तेज बहाव से पौधों की जड़ों को सुरक्षित रखें।

10. जल निकास : भूमि में पौधे के पास जल इक्ट्ठा होने से तना गलन का रोग हो जाता है अतः आवश्यक है कि जल निकास हेतु पर्याप्त व्यवस्था करें।

केला के पौधरोपण हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश

1. भूमि : अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ वलुई दोमट अथवा मटियार मिट्टी सबसे उपयुक्त है।

2. किस्में : ग्रैण्डनैन, ड्वार्फ कैन्डिस, विलियम, बसराई डवार्फ, रोबस्टा, रसथैली, हरी छाल।

3. जलवायु : केला उष्ण जलवायु का पौधा है तथा गर्म एवं आर्द्र जलवायु में भरपूर उत्पादन देता है उपयुक्त तापक्रम 40^0 सेलसियस है। सम तापक्रम वाले क्षेत्र जहां पर वायु में पर्याप्त आर्द्रता रहती है, अधिक उपयुक्त माने जाते हैं। नदी, झील, तालाब आदि जलाशयों के आस–पास केला अच्छी उपज देता है परन्तु जलभराव वाले क्षेत्र उपयुक्त नहीं होते।

4. पौधरोपण (सकर/प्रकन्द) : पौधरोपण का उचित समय 15 जून से 15 अगस्त होता है।

5. इन्टर कल्चर : पौधे में मिट्टी चढाना आवश्यक होता है क्योंकि इसकी जड़ें अधिक गहरी नहीं होती है कभी–कभी कन्द भूमि के बाहर आ जाते हैं, जिससे कि उनकी वृद्धि रूक जाती है। अतः दो या तीन बार मिट्टी चढ़ाना आवश्यक होता है। साथ ही पौधें के समीप छोटी–छोटी कन्द से लगी हुई शाखाएँ निकल आती हैं, जिन्हें सकर कहते हैं। ये पौधे की उचित वृद्धि में बाधक होती हैं। अतः इनकों निकाल देना चाहिए।

6. सिंचाई : भूमि तथा वातावरण के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में प्रति सप्ताह एवं शरद ऋतु में 15–20 दिन के अन्तर से सिंचाई करना आवश्यक है।

7. रैटूनिंग : फल लगने के समय कन्द से अनेक सकर निकलते हैं इनमें से एक स्वस्थ सकर को छोडकर शेष को काट देना चाहिए।

8. सहारा : फले हुऐ पौधों को तेज हवांओं से बचाव करना अत्यंन्त आवश्यक है। पौधों को बांस की बल्ली या खूटे का सहारा दें एवं स्थायी वायु अवरोधक हेतु सिसबेनिया (चिलबिल) के बीजों की बोआई करें। यदि सुरक्षा हेतु सी.पी.टी. का निर्माण किया गया है उस स्थिति में उत्तर एवं पश्चिम दिशा की ओर बने सी.पी.टी. पर बीज बोये। 8 माह पश्चात सिसबेनिया के पौधों से प्राप्त खूंटों का उपयोग पौधों को सहारा देने के लिये भी किया जा सकता है।

9. पौध सुरक्षा : पौध सुरक्षा हेतु थिमेट/थायरम एवं क्लोरपायरीफास दवा का उपयोग चार बार 6 माह के अन्तराल पर करें। नीम आधारित कीट नाशक को बढ़ावा दें।

संलग्नक – 5

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना

के अन्तर्गत उद्यानीकरण हेतु विभिन्न फसलों की

इकाई लागत

(अन्तराशस्य फसलों के साथ)

वर्ष 2008–09

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0

उद्यान भवन, 2–सप्रू मार्ग, लखनऊ–226 001

उत्तर प्रदेश,

फोन नं0: 0522–2623277, फैक्स: 0522–2621382

पपीता
पौध रोपण की इकाई लागत प्रति हेक्टर (2500 पौधे)

पौधों से पौधों की दूरी – **2 मीटर**
कतार से कतार की दूरी – **2 मीटर**

क्र. सं.	कार्य का विवरण	दर (रुपये में)	मात्रा / संख्या	लागत (रूपये में)		योग (रूपये में)	विशेष
				मजदूरी	सामग्री		
I							
1	भूमि विकास	500 प्रति एकड़	2.5 एकड़	1250	0	1250	
	झाड़ी सफाई, खेत का रेखांकन करना						
2	फेसिंग	35000 प्रति एकड़	2.5 एकड़	7500	80000	87500	
3	गड्डा खुदाई .50X. 50X. 50 मीटर गढ्ढा भराई तथा पौध रोपण करना खाद, उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना, पौध संरक्षण दवाएं	12 प्रति गढ्ढा	2500 गढ्ढे	30000	0	30000	
4	पौधों की कीमत (संकर)	10 प्रति पौधा	2500 पौधे	0	27500	27500	10% गेप फिलिंग
5	10 : गेप फीलिंग पौधों की कीमत	10 प्रति पौधे	250 पौधे	0	2500	2500	
	कुल लागत					148750	

नीबू (280 पौधे)

पौधों से पौधों की दूरी – **6 मीटर**

कतार से कतार की दूरी – **6 मीटर.**

क्र.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा / संख्या	लागत (रूपये में)		योग (रूपये में)	विशेष
				मजदूरी	सामग्री		
I	**रोपण वर्ष (प्रथम वर्ष)**						
1	भूमि विकास	500 प्रति एकड़	2.5 एकड़	1250	0	1250	
	झाड़ी सफाई , खेत का रेखांकन करना					0	
2	फेंसिंग	35000 प्रति एकड़	2.5 एकड़	7500	80000	87500	
3	पौधों की कीमत	310 पौधे	12 प्रति पौधे	0	3720	3720	10: गेप फिलिंग
4	खाद, उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना,	7.00 प्रति पौधा	280 पौधे	1960	0	1960	
	गड्डा भराई तथा पौध रोपण करना				0	0	
5	पौध सरंक्षण दवाएँ	10.00 प्रति पौध	280 पौधे	0	2800	2800	
6	**निदाई गुड़ाई, दवा का स्प्रे करना**	**5.00 प्रति पौधा**	**4 बार**	**5600**	**0**	**5600**	जून, सितम्बर,
	कुल					102830	

केला–ग्रैन्ड नैन (टिशू कल्चर) की बागवानी–0.1 हेक्टेयर के लिए इकाई लागत–

(अन्तराशस्य के रूप में हल्दी–केला+हल्दी)
(रोपण दूरी– 1.8 मी0 × 1.8 मी0 (6 × 6 फीट) – (3087 या 3100 पौधे प्रति हे0)

क्र0सं0	मद	दर	लागत रू. में	
			सामग्री	श्रम
1.	पौध रोपण सामग्री–310 पौधे	रू. 12/–	3720	
2.	गोबर की खाद/कम्पोस्ट –20 कु0	रू. 25/कु0	500	
3.	उर्वरक एवं जैव उर्वरक यूरिया 90 किग्रा0, डी.ए.पी. 75 किग्रा0, एम.ओ.पी. 75 किग्रा0	रू. 10/किग्रा0 रू. 15/किग्रा0 रू. 7.50/किग्रा0	900 1125 563	
4.	खेत की तैयारी, रेखांकन, गड्ढे की खुदाई–भराई (15 श्रमिक)	रू. 100/–		1500
5.	निराई–गुड़ाई एवं उर्वरक प्रयोग तथा दवा छिड़काव (10 श्रमिक वर्ष भर के लिए)	रू. 100/–		1000
6.	कीट व्याधि प्रबन्धन (पौधरक्षा रसायन/बायोपेस्टीसाइड्स)		500	
7.	केले में सहारा देना (300 बांस/लकड़ी के टूकड़े)	रू. 5/–	1500	
8.	मिट्टी चढाना– 10 श्रमिक	रू. 100/–		1000
9.	सिंचाई व्यवस्था व अन्य			2500
	योग		8808	6000
योग– सामग्री + श्रम =			14808	

केले में अन्तराशस्य के रूप में हल्दी की खेती पर 0.1 हेक्टेयर हेतु अनुमानित व्यय–

क्र0सं0	मद	दर	लागत रू. में	
			सामग्री	श्रम
1.	बीज–1.50 कुन्तल	रू. 2000/कु0	3000	
2.	बुआई– 5 श्रमिक	रू. 100/–		500
3.	निराई–गुडाई एवं मिट्टी चढाना– 5 श्रमिक	रू. 100/–		500
4.	खुदाई– 5 श्रमिक	रू. 100/–		500
	योग		3000	1500
योग– सामग्री + श्रम =			4500	
महायोग			19308	

कुल उपज
1. केला– अनुमानित उपज, 275 दर– रू. 100 प्रति घार = 27500
2. हल्दी– अनुमानित उपज, 15 कु0– रू. 1000 प्रति कु0 = 15000
कुल आय– = 42500
कुल व्यय = केला + हल्दी = 14808 + 4500 = 19308
शुद्ध लाभ = 42500–19308 = 23192

नोट– अन्तराशस्य के रूप में ली जाने वाली फसल में खेत की तैयारी एवं सिंचाई की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं होती तथा उर्वरक की मात्रा भी आधी ही आवश्यक होती है।

अमरूद की बागवानी–0.2 हेक्टेयर के लिए इकाई लागत–

(अन्तराशस्य के रूप में पातगोभी/फूलगोभी–अमरूद + पातगोभी/फूलगोभी)

रोपण दूरी 6 × 3 मी0 –(555 पौधे प्रति हे0)

क0सं0	मद	दर	लागत रू. में	
			सामग्री	श्रम
1.	पौध रोपण सामग्री–111 पौधे+11 पौधे गैप फिलिंग हेतु	रू. 12/पौधा	1464	
2.	गोबर की खाद/कम्पोस्ट –22 कु0	रू. 25/कु0	550	
3.	उर्वरक एवं जैव उर्वरक		511	
4.	खेत की तैयारी, रेखांकन, गड्ढे की खुदाई–भराई (1 घनमीटर आकार के–15 श्रमिक)	रू. 100/–		1500
5.	रोपण एवं थाला बनाना– 4 श्रमिक	रू. 100/–		400
6.	सिंचाई व्यवस्था– 5 श्रमिक		600	500
7.	निराई–गुडाई– 5 श्रमिक	रू. 100/–		500
8.	कृषि रक्षा रसायन/बायोपेस्टीसाइड्स		200	
9.	बाग के चारों ओर मेंड़ के किनारे रोपण हेतु पौधे (कटहल, जामुन, नींबू एवं करौंदा आदि– 50 पौधे)	रू. 5/–	250	
10.	रोपण– 2 श्रमिक	रू. 100/–		200
11.	फेन्सिग (आर.सी.सी. पोल + कॉटेदार तार से)		30000	5000
योग			3575	3100
योग– सामग्री + श्रम =			41675	

अमरूद के साथ अन्तराशस्य के रूप में पातगोभी/फूलगोभी की खेती पर 0.2 हेक्टेयर हेतु अनुमानित व्यय–

क0सं0	मद	दर	लागत रू. में	
			सामग्री	श्रम
1.	बीज–70 ग्राम	रू. 25/ग्राम	1750	
2.	बीज की बुआई एवं बेहन उत्पादन (3 लो टनेल + 5 श्रमिक		2000	500
3.	उर्वरक एवं जैव उर्वरक अ– यूरिया 21 किग्रा0 ब– डी.ए.पी. 13 किग्रा0 स– एम.ओ.पी. 10 किग्रा0		275	
4.	कीट व्याधि प्रबन्धन – बायोपेस्टीसाइड्स (2 श्रमिक)		622	200
5.	तुड़ाई एवं पैकिंग – 15 श्रमिक			1500
योग			4647	2200
योग– सामग्री + श्रम =			6847	
महायोग			13522	

अनुमानित उपज = 75 कु0

औसत मूल्य रू. 250 प्रति कु0 = 18750

कुल व्यय– अमरूद + पातगोभी = 13522

शुद्ध लाभ = 18750–13522 = 5228

नोट– अन्तराशस्य के रूप में ली जाने वाली फसल में खेत की तैयारी, सिंचाई की अतितिरक्त आवश्यकता नहीं होती तथा उर्वरक की मात्रा भी आधी ही आवश्यक होती है।

आम/लीची/आंवला की बागवानी–0.4 हेक्टेयर के लिए इकाई लागत–
(अन्तराशस्य के रूप में आलू–आम/लीची/आंवला + आलू)
(रोपण दूरी 10 ग 10 मी0 –(100 पौधे प्रति हे0)

क0सं0	मद	दर	लागत रू. में	
			सामग्री	श्रम
1.	पौध रोपण सामग्री–40 पौधे + 04 पौधे गैप फिलिंग हेतु	रू. 14/पौधा	616	
2.	गोबर की खाद/कम्पोस्ट –30 किग्रा0/गड्ढा–12 कु0	रू. 25/कु0	300	
3.	नीम की खली 40 किग्रा0 (1 किग्रा0 प्रति गड्ढा)	रू. 15/किग्रा0	600	
4.	उर्वरक एवं जैव उर्वरक यूरिया–10.4 किग्रा0, सिंगल सुपर फास्फेट–15 किग्रा0, म्यूरेट ऑफ पोटाष– 20 किग्रा0		600	
5.	कृषि रक्षा रसायन/बायोपेस्टीसाइड्स		500	
6.	सिंचाई व्यवस्था– 10 श्रमिक वर्ष भर के लिए		600	1000
7.	विण्ड ब्रेक एवं मेड़ के किनारे रोपण हेतु – 80 पौधे (कटहल, जामुन, नींबू एवं करौंदा आदि)	रू. 5/पौधा	400	
8.	खेत की तैयारी, गड्ढे की खुदाई–भराई, रोपण एवं थाला बनाना– 12 श्रमिक	रू. 100/–		1200
9.	निराई–गुडाई– 4 श्रमिक	रू. 100/–		400
10.	लू–पाले से बचाव– 5 श्रमिक	रू. 100/–		500
11.	फेन्सिग (आर.सी.सी. पोल + कॉटेदार तार से)		35000	
	योग		38841	2100
योग– सामग्री + श्रम =			40941	

अन्तराशस्य के रूप में आलू की खेती पर 0.4 हेक्टेयर हेतु अनुमानित व्यय–

क0सं0	मद	दर	लागत रू. में	
			सामग्री	श्रम
1.	बीज–12 कु0	रू. 600/कु0	7200	
2.	गोबर की खाद/कम्पोस्ट– 60 कु0	रू. 25/कु0	1500	
3.	उर्वरक एवं जैव उर्वरक अ– यूरिया 150 किग्रा0 ब– डी.ए.पी. 150 किग्रा0 स– एम.ओ.पी. 65 किग्रा0	 रू. 10/किग्रा0 रू. 15/किग्रा0 रू. 7.50/किग्रा0	 500 2250 490	
4.	कीट व्याधि प्रबन्धन – बायोपेस्टीसाइड्स (2 श्रमिक)		1500	200
5.	बुआई एवं मिट्टी चढाई– 20 श्रमिक	रू. 100/–		2000
6.	खुदाई, बिनाई, ग्रेडिंग एवं पैकिंग– 20 श्रमिक	रू. 100/–		2000
	योग		13440	4200
योग– सामग्री + श्रम =			17640	
महायोग			58581	

अनुमानित उपज = 100 कु0
औसत मूल्य रू. 250 प्रति कु0 = रू. 25000
कुल व्यय– = रू. 58581
शुद्ध लाभ = 58581–25000 = रू. (–)33581

नोट– अन्तराशस्य के रूप में ली जाने वाली फसल में खेत की तैयारी एवं सिंचाई की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं होती तथा उर्वरक की मात्रा भी आधी ही आवश्यक होती है। उद्यान के चारों ओर फेन्सिग कराने पर प्रथम वर्ष में व्यय अधिक होने के कारण लाभार्थी कृषक को द्वितीय एवं आगामी वर्षों में पूर्ण लाभ प्राप्त होगा।

आम/लीची/आंवला की बागवानी–0.4 हेक्टेयर के लिए इकाई लागत–
(अन्तराशस्य के रूप में शिमला मिर्च –आम/लीची/आंवला + शिमला मिर्च)
(रोपण दूरी 10 ग 10 मी0 –(100 पौधे प्रति हे0)

क0सं0	मद	दर	लागत रू. में	
			सामग्री	श्रम
1.	पौध रोपण सामग्री–40 पौधे + 04 पौधे गैप फिलिंग हेतु	रू. 14/पौधा	616	
2.	गोबर की खाद/कम्पोस्ट –30 किग्रा0/गड्ढा–12 कु0	रू. 25/कु0	300	
3.	नीम की खली 40 किग्रा0 (1 किग्रा0 प्रति गड्ढा)	रू. 15/किग्रा0	600	
4.	उर्वरक एवं जैव उर्वरक यूरिया–10.4 किग्रा0, सिंगल सुपर फास्फेट–15 किग्रा0, म्यूरेट ऑफ पोटाश– 20 किग्रा0		600	
5.	कृषि रक्षा रसायन/बायोपेस्टीसाइड्स		500	
6.	सिंचाई व्यवस्था– 10 श्रमिक वर्ष भर के लिए		600	1000
7.	विण्ड ब्रेक एवं मेड़ के किनारे रोपण हेतु – 80 पौधे (कटहल, जामुन, नींबू एवं करौंदा आदि)	रू. 5/पौधा	400	
8.	खेत की तैयारी, गड्ढे की खुदाई–भराई, रोपण एवं थाला बनाना– 12 श्रमिक	रू. 100/–		1200
9.	निराई–गुडाई– 4 श्रमिक	रू. 100/–		400
10.	लू–पाले से बचाव– 5 श्रमिक	रू. 100/–		500
11.	फेन्सिग (आर.सी.सी. पोल + कॉटेदार तार से)		35000	
	योग		38841	2100
योग– सामग्री + श्रम =			40941	

अन्तराशस्य के रूप में आलू की खेती पर 0.4 हेक्टेयर हेतु अनुमानित व्यय–

क0सं0	मद	दर	लागत रू. में	
			सामग्री	श्रम
1.	बीज–120 ग्राम	रू. 55/ग्राम	6600	
2.	बीज बुआई एवं बेहन उत्पादन (6 लो टनेल एवं 10 श्रमिक)		3900	1000
3.	उर्वरक एवं जैव उर्वरक अ– यूरिया 108 किग्रा0 ब– डी.ए.पी. 60 किग्रा0 स– एम.ओ.पी. 48 किग्रा0	 रू. 10/किग्रा0 रू. 15/किग्रा0 रू. 7.50/किग्रा0	 1080 900 360	
4.	कीट व्याधि प्रबन्धन – बायोपेस्टीसाइड्स (6 श्रमिक)		1000	600
5.	तुड़ाई एवं पैकिंग–5 तुड़ाई, 6 श्रमिक प्रति तुड़ाई (30 श्रमिक)	रू. 100/–		3000
6.	पैकिंग मैंटेरियल (10 प्लास्टिक क्रंट्स)	रू. 250/–	2500	
	योग		16340	4600
योग– सामग्री + श्रम =			20940	
महायोग			61881	

कुल व्यय–आम/आंवला/लीची+शिमला मिर्च=40941 + 20940 = 61881
अनुमानित उपज = 80 कु0
कुल आय औसत मूल्य रू. 800 प्रति कु0 की दर से = रू. 64000
शुद्ध लाभ– 64000–61881 = रू. 2119

नोट– अन्तराशस्य के रूप में ली जाने वाली फसल में खेत की तैयारी एवं सिंचाई की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं होती तथा उर्वरक की मात्रा भी आधी ही आवश्यक होती है।

आम/लीची/आंवला की बागवानी–0.4 हेक्टेयर के लिए इकाई लागत–
(अन्तराशस्य के रूप में गेंदा –आम/लीची/आंवला + गेंदा)
(रोपण दूरी 10 ग 10 मी0 –(100 पौधे प्रति हे0)

क्र0सं0	मद	दर	लागत रू. में	
			सामग्री	श्रम
1.	पौध रोपण सामग्री–40 पौधे + 04 पौधे गैप फिलिंग हेतु	रू. 14/पौधा	616	
2.	गोबर की खाद/कम्पोस्ट –30 किग्रा0/गड्ढा–12 कु0	रू. 25/कु0	300	
3.	नीम की खली 40 किग्रा0 (1 किग्रा0 प्रति गड्ढा)	रू. 15/किग्रा0	600	
4.	उर्वरक एवं जैव उर्वरक यूरिया–10.4 किग्रा0, सिंगल सुपर फास्फेट–15 किग्रा0, म्यूरेट ऑफ पोटाश– 20 किग्रा0		600	
5.	कृषि रक्षा रसायन/बायोपेस्टीसाइड्स		500	
6.	सिंचाई व्यवस्था– 10 श्रमिक वर्ष भर के लिए		600	1000
7.	विण्ड ब्रेक एवं मेड़ के किनारे रोपण हेतु – 80 पौधे (कटहल, जामुन, नींबू एवं करौंदा आदि)	रू. 5/पौधा	400	
8.	खेत की तैयारी, गड्ढे की खुदाई–भराई, रोपण एवं थाला बनाना– 12 श्रमिक	रू. 100/–		1200
9.	निराई–गुडाई– 4 श्रमिक	रू. 100/–		400
10.	लू–पाले से बचाव– 5 श्रमिक	रू. 100/–		500
11.	फेन्सिग (आर.सी.सी. पोल + कॉटेदार तार से)		35000	
	योग		38841	2100
योग– सामग्री + श्रम =			40941	

आम/लीची/आंवला के साथ अन्तराशस्य के रूप में गेंदा की खेती पर 0.4 हेक्टेयर हेतु अनुमानित व्यय –

क्र0सं0	मद	दर	लागत रू. में	
			सामग्री	श्रम
1.	बीज–500 ग्राम	रू. 3000/किग्रा	1500	
2.	बीज बुआई एवं बेहन उत्पादन (5 श्रमिक)			500
3.	उर्वरक एवं जैव उर्वरक अ– यूरिया 104 किग्रा0 ब– डी.ए.पी. 200 किग्रा0 स– एम.ओ.पी. 52 किग्रा0	 रू. 10/किग्रा0 रू. 15/किग्रा0 रू. 7.50/किग्रा0	 1080 900 360	
4.	कीट व्याधि प्रबन्धन – बायोपेस्टीसाइड्स (6 श्रमिक)		2000	600
5.	तुड़ाई एवं पैकिंग–5 तुड़ाई, 12 श्रमिक प्रति तुड़ाई (60 श्रमिक)			6000
6.	पैकिंग मैंटेरियल (कपड़ा आदि)		200	
	योग		5300	7100
योग– सामग्री + श्रम =			12400	
महायोग			53341	

कुल व्यय–आम/आंवला/लीची+गेंदा =40941 + 12400 = 53341

अनुमानित उपज = 50 कु0

कुल आय औसत मूल्य रू. 800 प्रति कु0 की दर से = रू. 5000

शुद्ध लाभ– 50000–53341 = रू. (–) 3341

नोट– अन्तराशस्य के रूप में ली जाने वाली फसल में खेत की तैयारी एवं सिंचाई की अतिरिक्त आवश्यकता नही होती तथा उर्वरक की मात्रा भी आधी ही आवश्यक होती है। उद्यान के चारों ओर फेसिंग कराने पर प्रथम वर्ष में व्यय अधिक होने के कारण लाभार्थी कृषक को द्वितीय एवं आगामी वर्षों में पूर्ण लाभ प्राप्त होगा।

संलग्नक – 6

उद्यानीकरण परियोजना की रिपोर्टिंग हेतु प्रपत्र

जिला : ..... **रिपोर्टिंग माह : .....**

क्र.	विकास खण्ड का नाम	चयनित लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या, जिनकी प्रोजेक्ट रिर्पोट स्वीकृत की गई	स्वीकृत प्रोजेकट रिपोर्ट के अनुसार उद्यान विकास की स्वीकृति का विवरण						उद्यान विकास की प्रगति का विवरण				
				कुल स्वीकृत क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	स्वीकृत प्रजातियों के नाम	स्वीकृत प्रजातियों के रोपित किये जाने वाले कुल पौधों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत (रू. लाख में)	कॉलम 4 में दर्शाये गये कितने लाभार्थियों के पास स्वयं की सिंचाई सुविधा है	कॉलम 4 में दर्शाये गये कितने लाभार्थियों को सिंचाई समृद्धि/खेत तालाब परियोजना के तहत सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी	कुल क्षेत्रफल जिसमें रोपण किया गया (हेक्टेयर)	लगाई गई प्रजातियों के नाम	लगाई गई प्रजातियों के रोपित कुल पौधों की संख्या	कुल व्यय राशि (रू. लाख में)	कॉलम 10 में दर्शाये गये कितने लाभार्थियों को सिंचाई समृद्धि/खेत तालाब परियोजना के तहत सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
योग														

मुख्य विकास अधिकारी

जिला :.....